न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नगर (डीग)

पीठासीन अधिकारी :—अनुराग हरित (आर.ए.एस.)

अपील संख्या :— 01/21 तारीख दायरा:—16.07.2021

सुभाष यादव पुत्र रत्ती जाति यादव निवासी ग्राम भूराका जटमल तहसील नगर जिला भरतपुर।

————अपीलान्ट

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत बेर्रू पंचायत समिति नगर (डीग)।
2. तहसीलदार साहब तहसील नगर (डीग)।

————रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थित:—

1. श्री विजयराम वकील अपीलान्ट।

आदेश दिनांक :—14.05.2024

अपीलांट सुभाष द्वारा यह अपील ग्राम पचांयत बेर्रू पचांयत समिति नगर के नामांतरकरण संख्या 83 ग्राम भूराका जटमल पटवार हल्का रामसिंहपुर पालकी तहसील नगर के आदेश दिनांक 20.05.2004 से व्यथित होकर पेश की गई। अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया।

प्रकरण में संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 3/0.85, 50/0.30, 58/0.50 किता 3 खसरा नम्बर 158/0.03 किता 1 व खसरा नम्बर 153/0.64, 154/0.18, 166/0.40, 64/0.48, 70/0.70 किता 5 बाके ग्राम भूराका जटमल तहसील नगर मे स्थित है, उक्त आराजी को प्रकरण मे आगे विवादित आराजी के रूप मे संबोधित किया गया है। विवादित आराजी रत्ती बल्द भौरा जाति अहीर के नाम से राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज थी तथा रत्ती की मृत्यू दिनांक 01.07.2002 को होने के पश्चात उनके वारिसान के नाम इ0 स0 83 से दर्ज हुई। नामा0 स्वीकार करते समय राजस्व रिकॉर्ड हल्का पटवारी द्वारा [illegible] सिंह दर्ज कर दिया तथा अपीलान्ट का सही नाम जो कि सुभाष यादव है, [illegible] मे स्वीकार कर यह नामा0 सरपंच ग्राम पंचायत बेर्रू के द्वारा ग्राम पंचायत कोरम [illegible] इन्तकाल दिया गया। अपीलान्ट द्वारा इस कानूनी एंव [illegible] निरस्त करने का अनुतोष चाहा गया।

प्रकरण मे पैरोकार सरकार का जवाब प्राप्त हुआ। अपीलान्ट की ओर से उनके कथन के सर्मथन मे ग्राम पंचायत बेर्रू के सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी द्वा[illegible]हस्ताक्षरित पत्र प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Anurag Harit
Date: 2024.09.27 16:11:53 IST
Reason: SelfAttested

किया गया। पटवारी हल्का रामसिंहपुर पालकी द्वारा तैयार मौका पर्चा भी अपीलान्ट के कथन की पुष्टी करता है। अपीलान्ट के भाई द्वारा इस बाबत शपथ पत्र दिया गया है।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। अतः उपरोक्त के आधार पर इ0सं0 83 बाके ग्राम भूराका जटमल तहसील नगर को अपीलान्ट की हद तक निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार नगर को आदेश दिये जाते है कि उक्त विवादित आराजी मे नवीन नामा0 दर्ज किया जाकर अपीलान्ट का नाम सुन्दर सिंह के स्थान सुभाष यादव दर्ज किया जावे। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहेगे। इस हेतु तहसीलदार नगर को तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनांक 14.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले–न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अनुराग हरित)
उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anurag Harit
Date: 2024.09.27 16:11:53 IST
Reason: SelfAttested